राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 12(6) ग्रावि/नरेगा/2010 जयपुर, दिनांकः 12 JUL 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियोजित एमआईएस मैनेजर एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों के द्वारा ही मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल एवं इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास सॉफ्ट (Awaas Soft) से संबंधित ऑनलाईन समस्त कार्य करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण आवासीय योजनाओं की ऑनलाईन फीडिंग भारत सरकार की वेबसाईट www.iay.nic.in के सॉफ्टवेयर "Awaas Soft" में करना अनिवार्य कर दिया गया है। अतः ग्रामीण आवासीय योजना के अन्तर्गत राज्य में चल रही मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल एवं इन्दिरा आवास योजना से संबंधित ऑनलाईन समस्त कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियोजित एमआईएस मैनेजर एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों के द्वारा ही किया जाएगा।

इस सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से अलग से विस्तृत जानकारी शीघ्र ही दी जाएगी। इसके उपयोग के लिए प्रत्येक जिले से एक एमआईएस मैनेजर एवं 2 डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को राज्य स्तर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षित एमआईएस मैनेजर एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अपने जिले में पंचायत समिति स्तरीय एमआईएस मैनेजर एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूचना अलग से भिजवाई जा रही है।

भवदीय,

(सी.एस. राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
6. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस